न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 106 / 2010 निर्णय दिनांक :–19.07.19

उनवानी दावा :

1. बरजी पत्नि रामदेव जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
2. सोहन पुत्र रामदेव जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
3. इन्द्रा पुत्री रामदेव जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
4. ~~देबी पुत्र मांग्या जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक~~ { मृतक }

4/1– गोपी पुत्र देबी जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
4/2– मोहन पुत्र देबी जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
4/3– भूरी पुत्री देबी जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
4/4– लाली पुत्री देबी जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
4/5– मथरा पुत्री देबी जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक

– वादीगण –

बनाम

1. लादी देवी पत्नि जगदीश जाति गुर्जर निवासी पुनर्वास कॉलोनी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
2. बद्री नारायण पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
3. दाखा पत्नि रामलाल जाति गुर्जर निवासी डाबरकलां तहसील–देवली, जिला–टोंक
4. मथरा पत्नि रामदेव जाति गुर्जर निवासी सलारी तहसील–केकडी, जिला–अजमेर
5. न्याली पत्नि हीरा जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
6. किशन लाल पुत्र पोलू जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
7. लक्ष्मण पुत्र पोलू जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
8. मोहन पुत्र पोलू जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
9. बन्ना पुत्र पोलू जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
10. ~~बजरंगा पुत्र उगमा जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक~~ { मृतक }
11. हजारी पुत्र उगमा जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
12. मथरा पत्नि रामलाल जाति बैरवा निवासी बनेडिया कॉलोनी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
13. लाली पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासी बनेडिया कॉलोनी थांवला तहसील–देवली, जिला–टोंक
14. तहसीलदार जी देवली जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री प्रेमचंद जैन
अधिवक्ता वादीगण

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 98 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा (साबिक) वाके ग्राम थांवला तहसील देवली

जिला टोंक सम्वत् 2025 से 2028 तक की जमाबंदी खाता संख्या II में उगमा पुत्र हरदेवा, मांग्या पुत्र बालू गुर्जर निवासी थांवला के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज थी। इसी खाता संख्या II सम्वत् 2025 से 2028 में सहवन से मांग्या पुत्र दयाला जाति गुर्जर दर्ज होने में आ गया था इस कारण इसी जमाबंदी में आगे संशोधन का नोट दर्ज किया हुआ है जो निम्न प्रकार से है :–(मांगीलाल के पिता का सही नाम बालू है।) उगमा एवं मांग्या का देहान्त हो चुका है, उगमा के वारिसान प्रतिवादीगण 3 ता 12 तथा मांग्या तथा बालू के वारिसान वादीगण है। मांग्या पुत्र बालू के देहान्त के बाद वादीगण उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है। पूर्व में इस हिस्से पर मांग्या पुत्र बालू काबिज था। सम्वत् 2046 के सेटलमेंट में साबिक ख0नं0 98 मिन रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा के हाल ख0नं0 1151, 1152, 1153, 1154, 1155 रकबा क्रमशः 0.35 है0, 0.53 है0, 0.23 है0, 0.24 है0, 0.65 है0 कुल किता–5, कुल रकबा 2.00 है वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला–टोंक बनाये गये है परन्तु जमाबंदी में पुनः मांग्या पुत्र दयाला जाति गुर्जर सा0 देह0 बराबर के रूप में अंकन कर दिया गया जबकि यह त्रुटि सम्वत् 2025 से 2028 की जमाबंदी में ही दुरूस्त की गई थी, बाद की जमाबंदी में भी सहवन से मांग्या पुत्र दयाला का अंकन किया गया है जबकि यह मांग्या पुत्र दयाला नाम का कोई व्यक्ति ग्राम थांवला में नही था और ना ही कभी रहा। मांग्या पुत्र बालू का देहान्त वर्षो पहले हो चुका है। वादीगण उसके वारिसान है जो बहैसियत खातेदार हिस्सा 1/2 पर शांति पूर्वक काबिज चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में सहवन से मांग्या पुत्र दयाला का नाम दर्ज रहने के कारण वादीगण के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक नही हो सका है। राजस्व कर्मचारियों की गलती का आज तक खामियाजा वादीगण को भुगतना पड रहा है। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का यह एक बहुत बडा उदाहरण है। मांग्या पुत्र दयाला के स्थान पर मांग्या पुत्र बालू संशोधन करने तथा उसके स्थान पर 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम रिकार्ड में दर्ज करने के लिये यह दावा डिक्री करना आवश्यक है। हाल ख0नं0 1151 से 1155 तक में हिस्सा 1/2 उगमा के वारिसान का है इसमें से उन्होने कुछ भूमि का बेचान प्रतिवादी 14 ता 15 को किया है जो राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होकर सहकृषक हो चुकी है शेष उगमा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 के नाम है। हिस्सा 1/2 वादीगण का है जिस पर वादीगण शांति पूर्वक मौके पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है। सेटलमेंट के बाद साबिक ख0नं0 98 मिन के नये नं0 1151 से 1155 तक बनाये गये थे लेकिन ग्राम थांवला से ढाणी गोविन्दपुरा व भगवानपुरा के राजस्व गांव बन जाने के कारण उपरोक्त ख0नं0 के नये ख0नं0 611 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 612 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 613 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 614 रकबा 0.24 है0 एवं ख0नं0 615 रकबा 0.65 है0 बना दिये गये है। प्रतिवादी सं0 2 जयराम पुत्र दयाला जाति गुर्जर निवासी थांवला ने गैर कानूनी तरीका अपनाकर स्वयं को मांग्या पुत्र दयाला बताकर राजस्व रिकार्ड में सहवन से मांग्या पुत्र दयाला गुर्जर के नाम का अंकन होने का

अनुचित फायदा उठाकर बेईमानी से उतप्रेरित होकर फर्जी तरीके से हिस्सा 1/2 का खातेदार बनकर मांग्या पुत्र बालू की भूमि को प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में दिनांक 26.12.05 को जरिये अवैध रजि0 विक्रय पत्र नुमाइशी अन्तरण कर लिया जबकि थांवला में मांग्या पुत्र दयाला गुर्जर नाम को कोई व्यक्ति नही है। यह अंकन त्रुटि पूर्ण था जो सम्वत् 2025 से 2028 की जमाबंदी में ही दुरूस्त कर दिया था। यह वास्तव में मांग्या पुत्र बालू गुर्जर है जो वर्षो पूर्व मर चुका था जिसके वारिसान वादीगण है जो मौके पर काबिज चले आ रहे है। जयराम पुत्र दयाला जाति गुर्जर निवासी थांवला ने फर्जकारी करके जमीन का विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 1 के नाम किया है। यह धोखाधडी छलकपट करके किया गया है जो कानूनी रूप से कोई मान्यता नही रखता है। जयराम पुत्र दयाला का स्वर्गवास हो चुका है तथा छद्मरूप कथित विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2005 प्रथम दृष्टिया ही अवैध, शून्य है। वादीगण के हिस्से के प्रतिकूल है। जयराम पुत्र दयाला का कभी भी उक्त जमीन से कोई लेना–देना नही रहा, ना कब्जा रहा, ना उसके द्वारा कब्जा प्रतिवादी सं0 1 को दिया गया। प्रतिवादी सं0 1 को तथा कथित विक्रय पत्र के आधार पर वैधानिक रूप से विवादित भूमि में कोई हक उत्पन्न नही होते है जो कि असल खातेदार मांग्या पुत्र बालू था जो मर चुका है, उसके बारिसान वादीगण है। मांग्या पुत्र दयाला के अंकन का अवैध फायदा उठाकर जयराम ने धोखाधडी करके फर्जी बनावटी विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीयन करवाया है जो सब नेशिया वाईड है तथा बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान जो हिस्सा 1/2 जमाबंदी में दर्ज है वह मात्र नुमाईशी है क्योंकि जयराम ने फर्जी तरीके से, बिना अधिकार के, बिना कब्जे के नाजायज फायदा उठाने की नियत से तथा यह जानते हुये कि इस भूमि का वह मालिक नही है, उसका कोई लेना–देना नही है। वास्तविक मालिक काबिज टिनेन्ट वादीगण है तथा यह भूमि मांग्या पुत्र बालू गुर्जर की खातेदारी की है। रिकार्ड में सहवन से मांग्या पुत्र बालू के स्थान पर मांग्या पुत्र दयाला दर्ज है तथा मांग्या पुत्र दयाला के नाम कोई व्यक्ति थांवला में नही है। खातेदार मांग्या पुत्र बालू था जो वर्षो पहले मर चुका है। मौके पर कब्जा वादीगण का चला आ रहा है इन समस्त बातों को जानते हुये भी जयराम ने अपने को मांग्या पुत्र दयाला बताकर एवं पंजीयन आथोरिटी के समक्ष गलत नाम बताकर स्वयं की फोटो लगवाकर अपने आप को खातेदार बताकर प्रतिवादी सं0 1 के नाम विक्रय पत्र का फर्जी रूप से निष्पादन करवाया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम का अंकन सरासर कानून के विपरित है। प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नही हुआ तथा उसका कब्जा किसी सूरत में नही हो सकता क्योंकि कब्जा वादीगण का चला आ रहा है जो कि इस भूमि के वास्तविक काबिज काश्तकार है परन्तु हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के कारण प्रतिवादी सं0 1 अब शीर्घ्रता से वादीगण से वादीगण को इस भूमि से बेदखल करने, कब्जे में हस्तक्षेप करने, नाजायज कब्जा करने एवं अन्य के हक में रहन, दान, बेचान करने की धमकी देने लग गई है जिसका कि उसे कोई अधिकार किसी प्रकार

का नही है। प्रतिवादी सं0 1 को हमेशा–हमेशा के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण को अपार अपरिमित हानि होगी, अनावश्यक विवाद, मुकदमें बाजी बढेंगी, वादीगण बर्बाद हो जावेंगें। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने जवाब दावा पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति पर प्रतिवादी संख्या 10 का नाम डिलिट किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 व 12, 10/1 ता 10/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। अधिवक्ता वादी नें राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 नो ओब्जेक्शन किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने से पत्रावली में जवाब, तनकियात, साक्ष्य की आवश्कता नहीं है। पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस में राजीनामा अनुसार निर्णय करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी ने वाद पेश कर प्रार्थना की है कि जमाबन्दी संम्वत 2025–28 वाके ग्राम थांवला के साबिक ख. नं. 98 रकबा 7 बीघा 6 बिसवा में उगमा पुत्र हरदेवा व मांग्या पुत्र बालू की बहिस्सा बराबर खातेदारी थी परन्तु सहवन से मांग्या पुत्र बालू के बजाय मांग्या पुत्र दयाला जाति गुर्जर का अंकन हो गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संम्वत 2025–28 में ख. नं. 98 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा (साबिक) वाके ग्राम थांवला में अलग से लिखा हुआ है कि मांगीलाल के पिता का सही नाम बालू है। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 में 98 मिन से ख. नं. 1151, 1152, 1153, 1154 व 1155 बने जिनका रकबा क्रमशः 0.35, 0.53, 0.23, 0.24, 0.65 बने है। जमाबन्दी सम्वत 2051–54, 2055–58 व 2059–62 में 1151 से 1155 व खातेदार के नाम में मांगिया पुत्र दयाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मिलान क्षैत्रफल 2071–74 में 1151 से 1155 के नये ख. नं. 611 से 615 बने व रकबा क्रमशः 0.35, 0.53, 0.23, 0.24, 0.65 है0 बना। उक्त से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत 2025–28 वाके ग्राम थांवला के साबिक ख. नं. 98 रकबा 7 बीघा 6 बिसवा में उगमा पुत्र हरदेवा व मांग्या पुत्र बालू की बहिस्सा बराबर खातेदारी थी परन्तु सहवन से मांग्या पुत्र बालू के बजाय मांग्या पुत्र दयाला जाति गुर्जर का अंकन हो जाने से आगे की जमाबन्दीयों में मांग्या पुत्र बालू ही उतरोतर रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 जयराम पुत्र दयाला ने स्वयं को मांग्या पुत्र दयाला बताकर गलत तरीके से पंजीयक अधिकारी के सामने गलत नाम बताकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम फर्जी विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 इस भूमि का खातेदार बन गया है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करना आवश्यक हो गया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण को आराजी ख. नं. 1151 रकबा 0.35 है0, ख. नं. 1152 रकबा 0.53 है0 ख. नं. 1153 रकबा 0.23 है0, ख. नं. 1154 रकबा 0.24 है0 ख. नं. 1155 रकबा 0.65 है0 कुल किता–5, कुल रकबा 2.00 है0 के हाल ख. नं. ख. नं. 611 रकबा 0.35 है0, ख. नं. 612 रकबा 0.53 है0 ख. नं. 613 रकबा 0.23 है0, ख. नं. 614 रकबा 0.24

है0 ख. नं. 615 रकबा 0.65 है0 कुल किता–5, कुल रकबा 2.00 है0 में से 1/2 हस्से का वाके ग्राम थांवला तहसील देवली का खातेदार घोषित किया जाता है तथा विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2005 को नल एण्ड वोईड घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त आराजी में वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में मजामहत नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 19.07.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली